निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)
प्रकरण संख्या 04/2023 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)
सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ जिला, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

कमल कुमार जैन पुत्र श्री हर चन्द जैन निवासी आलीसर थाना, गोविन्दगढ जिला जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 850 लीटर डीजल व 18 लीटर पैट्रोल को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राम प्रसाद कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.02.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31.11.2020 को समय 2.50. पी एम पर जरिये मुखबिर विश्वसनीय ने मन थानाधिकारी को सूचना दी कि ग्राम आलीसर में मैन चोपड पर जैन किराना स्टोर की एक दुकान में कमल कुमार जैन अवैद्य रूप से पैट्रोल व डीजल बेच रहा है व दुकान के पास स्थित गोदाम में काफी मात्रा में अवैद्य डीजल के ड्रम भरे हुये रखे है। अभी अभी सुरेश यादव निवासी आलीसर इससे डीजल खरीद कर ले गया है। आप तुरन्त मौके पर पहुंच कर कार्यवाही करो नहीं तो उक्त व्यक्ति उक्त पैट्रोल डीजल को वहां से हटा देगा या खुर्द बुर्द कर देगा । आमद सूचना पर अविलम्ब अनुसंधान सामग्री लेकर मन थानाधिकारी मय हमराही जाप्ते के समय 3.20 पी.एम. पर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थल आलीसर मैन चौपड स्थित जैन किराना स्टोर की दुकान पर पहुॅचे, जहां पर एक व्यक्ति दुकान के गेट पर बैठा मिला जिसका नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम कमल कुमार जैन पुत्र श्री हरचन्द जैन निवासी आलीसर थाना गोविन्दगढ जिला जयपुर होना बताया जिस पर उक्त व्यक्ति को सूचना मुखबीर से अवगत कराया जाकर दुकान की नियमानुसार तलाशी बाबत कहा गया तो उक्त शक्स ने स्वेच्छा से दुकान की तलाशी की सहमती दी। जिस पर मन थानाधिकारी द्वारा दुकान के अन्दर प्रवेश कर देखा तो दुकान के अन्दर तेल मापने के उपकरण, प्लास्टिक का एक ड्रम, जरीकेन, नाप, प्लास्टिक की कीप, तेल निकालने की पम्प मशीन व प्लास्टिक की पाईप मिली, जिनके बारे में उक्त कमल कुमार जैन से पूछा गया तो खाली होना बताया, किन्तु शंका होने पर व दुकान में तेल इत्यादि बिखरा हुआ होने के कारण मन थानाधिकारी मय जाब्ता द्वारा चैक किया गया, तो ड्रम में डीजल भरा हुआ व जरीकेन में पैट्रोल भरा हुआ पाया गया तथा गोदाम के बारे में पूछा गया तो दुकान से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही अपना गोदाम होना बताया। जिस पर हमराही जाप्ते में से श्री सरदार सिंह एच सी 325 को मौके पर छोडा जाकर उक्त कमल जैन को हमरा लेकर शेष को साथ में लेकर गोदाम पर पहुंचे जहां पर गोदाम में 5 प्लास्टिक के बडे ड्रमों में डीजल भरा हुआ पाया गया। जिस पर अप्रार्थी उक्त कमल जैन को भारी मात्रा में डीजल व पैट्रोल अपने कब्जे में रख कर विक्रय करने बाबत वैद्य लाईसेन्स के बारे में पूछा

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

गया तो कोई लाईसेन्स नही होना बताया । जिस पर सम्पूर्ण मामला अपराध धारा 3/7 ई सी एक्ट का वकू में आना पाया जाने पर कार्यवाही की गई। मौके पर गोदाम में मिले 5 ड्रमों में भरे डीजल का नाप किया गया तो एक ड्रम में 200 लीटर, दूसरे ड्रम में 200 लीटर, तीसरे ड्रम में 200 लीटर, चौथे ड्रम में 35 लीटर, व पांचवें ड्रम में 35 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। गोदाम से रवाना हो कर जाप्ता दुकान पर पहुंचा जहां पर प्लास्टिक के ड्रम में भरे डीजल का माप किया गया तो कुल 180 लीटर डीजल व 18 लीटर पैट्रोल होना पाया गया । जिनको जब्त कर नियमानुसार वजह सबूत जब्ती कर नमुना सैम्पल लिया गया। अतः प्रकरण हाजा में जब्त 880 लीटर डीजल व 18 लीटर पैट्रोल के संबंध मे नियमानुसार निस्तारण आदेश प्रदान करें ।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त डीजल व पैट्रोल एडनशील, ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरित निस्तारण के आदेश दिनांक 03.02.2023 को पारित किये जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ जिला जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त डीजल व पैट्रोल का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राम प्रसाद कुमावत ने वकालतनामा पेश कर जबाब हेतु अवसर चाहा । अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किये जाने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि थानाधिकारी मय जाब्ता द्वारा दुकान व गोदाम चैक किये जाने पर दुकान में 180 लीटर डीजल व 18 लीटर पैट्रोल पाया गया । गोदाम के बारे में पूछा गया तो दुकान से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही अपना गोदाम होना बताया। गोदाम में एक ड्रम में 200 लीटर, दूसरे ड्रम में 200 लीटर, तीसरे ड्रम में 200 लीटर, चौथे ड्रम में 35 लीटर, व पांचवें ड्रम में 35 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। जिस पर अप्रार्थी उक्त कमल जैन को भरी मात्रा में डीजल व पैट्रोल अपने कब्जे में रख कर विक्रय करने बाबत वैद्य लाईसेन्स बाबत पूछा गया तो कोई लाईसेन्स नही होना बताया । जिस पर सम्पूर्ण मामला अपराध धारा 3/7 ई सी एक्ट का वकू में आना पाया जाने पर कार्यवाही की गई। अतः अप्रार्थी के कब्जे से मौके पर गोदाम व दुकान में मिले डीजल व पैट्रोल को नियमानुसार राजसात करने के आदेश प्रदान करें ।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी की भूमि पर जी टी एल कम्पनी ने अपना मोबाईल टावर स्थापित कर रखा है जिस हेतु जी टी एल एवं अप्रार्थी के पिता के बीच लीज डीड भी हो रखी है। और उक्त टावर की देखरेख जर्नेटर सैट में रोजाना पैट्रोल डीजल भरना व अन्य कार्य उक्त टावर की देखरेख करने की सभी जिम्मेदारी अप्रार्थी को स्वयं जी टी एल कम्पनी द्वारा दे रखी है। जिस बाबत अप्रार्थी को सुपरवाईजर अलग से की होल्डर सर्विस एग्रीमेन्ट अप्रार्थी व कम्पनी के मध्य हो रखा है । इस प्रकार उक्त डीजल अप्रार्थी द्वारा जी टी एल कम्पनी के टावर में लगे जर्नेटर सेट बाबत खरीद किया गया था जिसकी पैट्रोल पम्प से खरीद की रसीद भी जांच अधिकारी को सुपुर्द कर दी गई । अप्रार्थी ने उक्त डीजल दिनांक 21.11.2020 को खरीद किया था इसमें किसी प्रकार की कोई चोरी का सामान नहीं है और अप्रार्थी उक्त डीजल पैट्रोल स्वयं की देखरेख में चल रहे टावर में लगे जनरेटर सैट हेतु क्रय किया गया था न कि

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

बाहर बेचने के लिए तथा ना ही अप्रार्थी उक्त को बाजार में बेच रहा था। स्वयं मान्य जिला सत्र न्यायाधीश महोदय जयपुर जिला जयपुर ने अप्रार्थी के जमानत आदेश दिनांक 07.12.2020 की फाईनडिंग में माना है कि अप्रार्थी/मुल्जिम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से पाया है कि मुल्जिम के पास जी टी एल कम्पनी का टावर लगा हुआ है। इसके लिए डीजल की आवश्यकता होती है जिसकी देखरेख करने का हर काम मुल्जिम के पिता हरचन्द के पास है, जिसका इस संबंध में इकरारनामा भी जी टी एल कम्पनी से हुआ है तथा मुल्जिम के गांव में लाईट नहीं है। मुल्जिम के घर से लाईट व्यवस्था के लिए घर पर जनरेटर सैट लगा हुआ है। जिसमे पैट्रोल की जरूरत होती है। 18 लीटर पैट्रोल बहुत ज्यादा मात्रा में नही है। जो सामान्य रूप से जिसके पास जरनेटर सेट है उसके पास होना ही चाहिये । टावर को चलाने के लिए जो डीजल मुल्जिम के पास पाया गया है उसका मुल्जिम द्वारा पैट्रोप पम्प से खरीदने का बिल प्रस्तुत किया गया है वह अपने निजी उपयोग के लिए लेना पाया जाता है । ओब्जेक्टिव डेफिनेशन, एनफोर्समेन्ट, एक्जंमशन, ईटीसी इन दा पैट्रोलियम रूल्स 1976 के तहत 1000 लीटर तक डीजल किसी भी आदमी को अपने उपयोग हेतु रखने का अधिकार है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्वतः ही साबित हो जाता है कि उक्त जब्त शुदा डीजल व पैट्रोल किसी भी सूरत में अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की श्रेणी में नहीं आता है। अतः जब्त डीजल व पैट्रोल अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 30.11.2020 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के कब्जे से 18 लीटर पैट्रोल व 850 लीटर डीजल जब्त किया गया है। अप्रार्थी के पास जी टी एल कम्पनी का टावर लगा हुआ है। इसके लिए डीजल की आवश्यकता होती है जिसकी देखरेख करने का हर काम मुल्जिम के पिता हरचन्द के पास है। इस सम्बन्ध में इकरारनामा भी जी टी एल कम्पनी से हुआ है । अप्रार्थी के गांव में लाईट की व्यवस्था प्रोपर नहीं होने से लाईट व्यवस्था के लिए घर पर जनरेटर सैट लगा हुआ है। टावर को चलाने के लिए जो डीजल अप्रार्थी के पास पाया गया है उसका अप्रार्थी द्वारा पैट्रोल पम्प से खरीदने का बिल प्रस्तुत किया गया है जो अप्रार्थी के निजी उपयोग में लेने को इंगित करता है। जिससे अप्रार्थी द्वारा डीजल व पैट्रोल की कालाबाजारी किये जाने की मनः स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। ओब्जेक्टिव डेफिनेशन, एनफोर्समेन्ट, एक्जंमशन, ईटीसी इन दी पैट्रोलियम रूल्स 1976 के तहत 1000 लीटर तक डीजल किसी भी आदमी को अपने उपयोग हेतु रखने का अधिकार है। अप्रार्थी के पास निर्धारित सीमा 1000 लीटर से कम डीजल व पैट्रोल पाया गया है। इसलिए अप्रार्थी के कब्जे से जब्त डीजल व पैट्रोल को राजसात करना उचित नहीं पाते है, बल्कि अप्रार्थी को लौटाया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त डीजल व पैट्रोल का अन्तरिम निस्ताण जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 03.02.2023 को पारित किये जा चुके है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 850 लीटर डीजल व 18 लीटर पैट्रोल या उससे विकीत राशि अप्रार्थी को लौटाये जाने का आदेश थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ को दिया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ को प्रेषित की जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner